(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अग्रेतर जांच या कार्यवाही के लिए किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां—

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रेतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरुद्ध अग्रेतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

(6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन अभिकथनों जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां—

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्याधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को

और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

(7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।

(8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहत न कर दिया जाय।

(9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फन्डामेन्टल रूल–53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि–

इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम–54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. अनुशासनिक प्राधिकारी–

किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस पर नियम–4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति आधिरोपित कर सकेगा :

प्रतिबंध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि उत्तरांचल श्रेणी–दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2002 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियमावली के नियम–3 में उल्लिखित लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा :

प्रतिबंध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह 'ग' और 'घ' के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में

पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जायें, प्रत्यायोजित कर सकती है।

7. दीर्घ शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया–

किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी :–

(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(दो) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप–पत्र कहा जायेगा। आरोप–पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हों वहां आरोप–पत्र संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सकें। आरोप–पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हों, आरोप–पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।

(चार) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह कथन करे कि आरोप–पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।

(पांच) आरोप–पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप–पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप–पत्र को

व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जाएगा :

प्रतिबंध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहां इसकी प्रति आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उसे जांच अधिकारी के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(छः) जहां आरोपित सरकारी सेवक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहां जांच अधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप–पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था :

प्रतिबंध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

(आठ) जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्ष्यों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (जो उत्तरांचल में उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी है), के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(नौ) जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(दस) जहां आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो जांच अधिकारी, एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी, आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप–पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।

(ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवा या विधिक व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा, नियुक्त कर सकता है।

(बारह) सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधिक व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे, दी हो :

प्रतिबंध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :—

(एक) जहां किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गयी हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराये; या

(दो) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है; या

(तीन) जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

8. जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना—

जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

9. जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही—

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम—7 के उपबंधों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

(3) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायेगा और तद्नुसार उसे सूचित कर दिया जायेगा।

(4) यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम–3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए, तो वह उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम–16 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम–3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

10. लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया–

(1) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहां वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियम–3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।

(2) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय, वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश संबंधित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायेगा।

11. अपील–

(1) इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

(2) अपील, अपील प्राधिकारी को संबोधित और प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।

(3) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।

(4) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

12. अपील पर विचार–

अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस नियमावली के नियम–13 के खण्ड (क) से (घ) में यथाउल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे :–

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं; और

(ग) क्या शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

13. पुनरीक्षण–

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो; और

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसका उपान्तर कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या

(ख) निदेश दे सकेगी कि मामले में अग्रेतर जांच की जाय, या

(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

14. पुनर्विलोकन–

राज्यपाल, यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गयी थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।

15. शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर–

नियम–12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

16. आयोग से परामर्श–

इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 (जो उत्तरांचल में उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000

की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी है) के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जायेगा।

17. विखण्डन और व्यावृत्ति–

(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 में उल्लिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 या उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम–3 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द या विखंडित न कर दिया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को खण्ड (1) में वर्णित नियमावलियों के अन्तर्गत अथवा उ0 प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अन्तर्गत लम्बित कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायेगा।

(3) इस नियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी जो उसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के संबंध में इस नियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस नियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेगी मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003

1. (i) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–

यह नियमावली उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003 कहलायेगी।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. लागू होने की सीमा–

यह नियमावली उत्तरांचल की समूह 'ख' की ऐसी समस्त सेवाओं, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल है, पर लागू होगी।

3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव–

इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होगें भले ही इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी नियम या आदेश में इससे कोई भी असंगत बात क्यों न हो।

4. परिभाषा–

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है;

(ख) ''विभागाध्यक्ष'' के अन्तर्गत कोई अपर विभागाध्यक्ष भी है और उसका तात्पर्य राज्यपाल द्वारा इस प्रकार विशेष रूप से घोषित किसी प्राधिकारी से है;

(ग) ''लघु शास्ति'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(i) परिनिन्दा;

(ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना;

(iii) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।

5. शक्ति का प्रतिनिधायन–

विभागाध्यक्षों के अधीन सेवारत उत्तरांचल की श्रेणी 'ख' के अधिकारियों के संबंध में श्री राज्यपाल द्वारा लघु शास्तियां आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग एतद्पश्चात् श्री राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए समबद्ध विभागाध्यक्ष भी कर सकेंगे।

उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव–

यह नियमावली,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

3. परिभाषायें–

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में पद–

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियाँ करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(च) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और उस सेवा से संबंधित सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

4. त्याग–पत्र की सूचना–

(1) कोई सरकारी सेवक लिखित रूप से तीन मास की सूचना देकर अपनी सेवा से त्याग–पत्र दे सकता है।

(2) त्याग–पत्र की सूचना–

(एक) स्वैच्छिक और बिना शर्त होगी;

(दो) प्राधिकारी जिसके अधीन उक्त सरकारी सेवक त्याग–पत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, को सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित की जायेगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना या किसी अल्पतर सूचना के त्याग–पत्र की अनुमति देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

5. त्याग–पत्र का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना–

(1) सरकारी सेवक का त्याग–पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचारिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्याग–पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है यदि–

(एक) यदि सरकारी सेवक सरकार के प्रति किसी धनराशि का देनदार हो और/या कोई अन्य दायित्व हो तो जब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो या दायित्व का निर्वहन न किया गया हो।

या

(दो) सरकारी कर्मचारी निलम्बित हो।

या

(तीन) उसके विरुद्ध कोई जांच संकल्पित या लम्बित हो।

या

(चार) अपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण, जाँच या परीक्षण लम्बित हो और ऐसा आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी यथासम्भव सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्याग–पत्र की प्रार्थना पर विनिश्चय करेगा।

6. सेवा समाप्ति–

उक्त सरकारी सेवक की सेवायें उसके त्याग–पत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से जैसा उसमें उल्लिखित किया जाय, समाप्त हो जायेंगी।

7. त्याग–पत्र को वापस लेना–

सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में एक निवेदन प्राप्त कराकर इस नियमावली के नियम 6 में यथा–उपबन्धित अपनी सेवाओं की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही अपना त्याग–पत्र वापस ले सकता है।

उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना–

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा–समाप्ति) नियमावली, 1975 कहलायेगी।

(2) यह नियम और नियम 2, 3 तथा 4, दिनांक 30 जनवरी, 1953 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और नियम 5 तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह नियमावली उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध किसी असैनिक पद (सिविल पोस्ट) पर हों और जो राज्यपाल के द्वारा बनाये गये नियमों से नियंत्रित होते हों, किन्तु जिनका उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी स्थायी सरकारी पद पर स्वत्व (लीएन) न हो।

2. परिभाषा–

इस नियमावली में, ''अस्थायी सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी अस्थायी पद पर स्थानापन्न या मूल सेवा से अथवा किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा से है।

3. सेवा की समाप्ति–

(1) इस विषय पर विद्यमान किसी नियम या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अस्थायी सेवा में स्थित किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी भी समय या तो सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को लिखित रूप में दी गई नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

(2) नोटिस की अवधि एक मास होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी सरकारी सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकेगी, और ऐसी समाप्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिये या यथास्थिति ऐसी नोटिस एक मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते की, (यदि कोई हो) धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहा था:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह सरकारी सेवक से नोटिस के बदले में किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना अवमुक्त कर सकेगा या कम अवधि की नोटिस स्वीकार कर सकेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गई नोटिस तभी प्रभावी होगी, जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी

आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दी जायेगी।

4. अपवाद–

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों की पदावधि या नियुक्ति या सेवायोजन की पदावधि निरन्तरता उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी, और इस नियमावली की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की समाप्ति के पूर्व उनको या उनके द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन या शास्ति देना अपेक्षित है–

(क) वे व्यक्ति जो संविदा पर नियुक्त हो;

(ख) वे व्यक्ति जो सरकार के पूर्ण कालिक सेवायोजन में न हों;

(ग) वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक व्यय की धनराशि से अदायगी की जाती हो;

(घ) वे व्यक्ति जो कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवायोजित हों;

(ड़) वे व्यक्ति जिन्हें अधिवर्षिता के पश्चात् पुनः सेवायोजित किया जाय;

(च) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सेवायोजित किया जाय, और जिनकी सेवा का पर्यवसान उस अवधि के व्यतीत होने पर स्वतः हो जाय;

(छ) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये इस शर्त पर सेवायोजित किया जाय कि उस अवधि में किसी भी समय कमी की जा सकती है;

(ज) वे व्यक्ति जिन्हें अल्पकालिक व्यवस्था या रिक्तियों में नियुक्ति किया जाय और जिनकी सेवा का पर्यवसान उस व्यवस्था या रिक्ति की समाप्ति पर स्वतः हो जाय।

5. विखण्डन और अपवाद–

(1) नियुक्ति (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या 230/2–बी–1953, दिनांक 30 जनवरी, 1953 के साथ प्रख्यापित नियम उसी दिनांक से विखण्डित हो जायेगा।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी यह समझा जायगा कि उक्त नियम के अधीन जो कुछ किया गया था किया जाना अभिप्रेत हो या जो कार्यवाही की गई या की गई अभिप्रेत हो वह इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई है।

उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004

1. संक्षिप्त नाम तथा विवरण–

(1) यह नियमावली उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. अधिकतम आयु सीमा–

इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदो ंके सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

3. भर्ती के अवसरों पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना–

किसी भी ऐसी सेवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु–सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

4. नियमावली का अधिभावी प्रभाव–

यह नियमावली संगत सेवा नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सभी मामलों में प्रभावी होगी।

5. आयु की गणना–

किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी सेवा या पद के लिए चाहे वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या उसके बाहर, अभ्यर्थी को, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें उस वर्ष की पहली जुलाई को समय–समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. विभागीय जाँच, जिन पर अधिनियम लागू होगा– इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गई प्रत्येक विभागीय जाँच पर लागू होंगें:–

(क) जो व्यक्ति राज्य की किसी असैनिक सेवा के सदस्य हैं या राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करते हैं;

(ख) जो व्यक्ति निम्नलिखित की सेवा में हैं या उसके अधीन कोई पद धारण करते हैं–

(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(2) राज्य सरकार से स्वामित्व या नियन्त्रण का कोई बोर्ड या निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई कम्पनी न हो),

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार समादत्त अंशपूंजी के 50 प्रतिशत से अन्यून को धारण किये हैं या ऐसी सरकारी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी;

(4) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसायटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतया लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या, दोनों हैं;

(ग) जो व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारण करने वाले न रह गये हों, उनके उस समय के कार्य या लोप के सम्बन्ध में जबकि वे ऐसी सेवा के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे।

3. परिभाषायें– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''विभागीय जाँच'' का तात्पर्य धारा–2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरूद्ध आरोपों की जाँच से है, जो :–

(i) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम, या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी रखे गये किसी नियम, के अधीन और अनुसार की जाय–

(ख) ''जाँचकर्ता प्राधिकारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जाँच करने के लिये सशक्त है, और उसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी जाँच करने की शक्ति प्रतिनिहित कर दी है;

(ग) ''आरोप'' के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिकथन भी है जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जब वह सेवा में हो या जब वह कोई पद धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना प्रस्तावित हो, या जहां वह सेवा में न रह गया हो या पद न धारण कर रहा हो, वहां कोई दुराचरण या उपेक्षा भी है, जिसके कारण पेंशन को या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने के लिये या सेवायोजक की किसी आर्थिक हानि को पेंशन से वसूल करने के लिये उसके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो।

4. प्राधिकृत जाँचकर्ता प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति–

(1) प्रत्येक जाँचकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1900 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्–

(क) किसी साक्षी को सम्मन करना और उसे हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य हो,

(ग) किसी विशेषाधिकार की अध्यर्थना के अधीन (जिसके सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–123 और 124, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी किन्तु उसकी धारा–162 लागू न होगी), किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, प्राधिकृत जाँचकर्ता रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सिडियरी बैंक) ऐक्ट, 1956 की धारा–2 के खण्ड (क) में यथा–परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी समरूपी नये बैंक को:–

(क) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज को, जिसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, समनुषंगी बैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करे, पेश करने, या,

(ख) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को विभागीय जाँच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने, या

(ग) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने, के लिए बाध्य नहीं करेगा।

(3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिये जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जारी की गई कोई आदेशिका या तो सीधे (डाक या सन्देशवाहक द्वारा) या उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से, तामील और निष्पादित की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी या अन्य व्यक्ति, जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित की जानी है, स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है।

(4) जहाँ कोई आदेशिका, उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित की जाय वहाँ वह, उसकी अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका समझी जायेगी।

(5) जहाँ कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिसीप्लनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल्स) रूल्स, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाय, और उसको जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किये बिना तामील और निष्पादित किया जाय, वहाँ ऐसी किसी आदेशिका की अवज्ञा के लिये कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अधिकरण को वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश–16 के नियम–10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है।

(6) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जाँच करने वाला प्रत्येक जाँचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

5. क्षेत्रीय सीमायें जिनमें धारा–4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा– धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्राधिकृत जाँचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम के विस्तार–पर्यन्त क्षेत्रीय सीमाओं तक विस्तृत होगी।

6. नियम बनाने की शक्ति– राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

7. निरसन और अपवाद–

(1) उत्तर प्रदेश अनुशासनिक कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1953, दिनांक 17 सितम्बर, 1975 से निरसित किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 के निरसन के होते हुये भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत दिनांकों पर प्रवृत्त था।

उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–** (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002 कहलायगी।

2. **यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त समझी जायेगी।**

(2) परिभाषाएं– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) ''सरकारी सेवक'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जोः–

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में, नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण– ''नियमित रूप से नियुक्ति'' का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है,

(ख) ''मृत सरकारी सेवक'' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय;

(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे–

(1) पत्नी या पति;

(2) पुत्र;

(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।

(घ) ''कार्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. **नियमावली का लागू किया जाना–** यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोडकर, जो उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तराखण्ड राज्य के कार्यक्रलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होंगे।

4. इस नियमावली का अधारोही प्रभाव– इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्ही नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती– (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति :–

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और सामयपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

5–क. मई, 1973 में मृत पुलिस/पी.ए.सी. कर्मियों के कुटुम्ब के सदस्य की भर्ती– नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी के ऐसे बाइस कार्मिकों के जिनकी मृत्यु मई, 1973 में हुए उपद्रव के परिणाम स्वरूप हुई थी कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।

6. सेवायोजन के लिए आवेदन–पत्र की विषय वस्तु:–

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्ति

अभिलम्बित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन–पत्र में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगीः–

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्यौरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों:–

यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता:–

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अट्ठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा। इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान:–

किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा किः–

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरूष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः–

राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेषज्ञ आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 2007

1. सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली उत्तराखण्ड राज्य में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों के लिपिकवर्गीय अधिष्ठान के सभी व्यक्तियों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएं : जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से तात्पर्य जिला एवं सेशन न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय से है,

(ख) ''मुख्य न्यायाधीश'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है,

(ग) ''आयोग'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है,

(घ) ''संविधान'' से तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है,

(ङ) ''न्यायालय'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से है,

(च) ''कुटुम्ब न्यायालय'' से तात्पर्य प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय और अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय से है,

(छ) ''सरकार'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड की सरकार से है,

(ज) ''राज्यपाल'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है,

(झ) ''लिपिकवर्गीय अधिष्ठान'' से तात्पर्य अधीनस्थ सिविल न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों के लिपिकवर्गीय सेवकों से है।

(ञ) ''अधीनस्थ सिविल न्यायालय'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सहायक सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय और अपर न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय से है,

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' से तात्पर्य उस कलैण्डर वर्ष की पहली जनवरी से, जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाय, प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

3. सेवा का संवर्ग :

लिपिकवर्गीय सेवा, उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में जजशिप और कुटुम्ब न्यायालयों में नियोजित कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्ग और प्रवर्गों से मिलकर बनेगी–

सिविल न्यायालय

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	भर्ती का स्रोत
(क)	प्रतिलिपिक / कनिष्ठ लिपिक / सहायक लेखा लिपिक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, लेखन सामग्री लिपिक, अमीन श्रेणी–2, सहायक अभिलेखपाल, सहायक नाजिर	रू0 3050–4590 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा या समूह 'घ' के नियमित कर्मचारियों में से, जो तत्समय प्रवृत्त नियमावली / शासनादेशों के अनुसार शर्तें पूरी करते हों, ऐसे शासनादेशों में नियत कोटा के भीतर, चयन द्वारा
(ख)	वाद लिपिक / निष्पादन लिपिक, अहलमद, उप नाजिर, लेखा लिपिक, सेशन लिपिक, अपील लिपिक,खजांची, विविध लिपिक, सिविल जज (एस.डी.), सिविल जज (जे.डी.) और न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुंसरिम, पेशकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, अमीन श्रेणी–1, उप अभिलेखपाल	रू0 4000–6000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (क) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्हें तीन वर्ष का अनुभव हो।
(ग)	जिला न्यायाधीश / अपर जिला न्यायाधीश / सी.जे.एम. / अपर सी.जे.एम., न्यायालयों के मुसंरिम, पेशकार, सेंट्रल नाजिर, अभिलेखपाल, प्रधान प्रतिलिपिक, द्वितीय लिपिक	रू0 4500–7000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (ख) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्हें तीन वर्ष का अनुभव हो
(घ)	सदर मुंसरिम	रू0 5500–9000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (ग) में से प्रोन्नति या चयन द्वारा, जिसने कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ङ)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू. 6500–10500 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (ग) और प्रवर्ग (घ) में से प्रोन्नति या चयन द्वारा, जिसने कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
(च)	सिविल जज (जे.डी.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (एस.डी.) / अपर सिविल जज (एस.डी.) के न्यायालयों में आशुलिपिक श्रेणी–1	रू0 4000–6000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा
(छ)	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में वैयक्तिक सहायक	रू0 5500–9000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (च) में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्हें पांच वर्ष का अनुभव है।
(ज)	जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में वैयक्तिक सहायक	रू. 6500–10500 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (च) में से प्रोन्नति द्वारा।

उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित प्रवर्गों से एक संवर्ग और प्रवर्ग (च) से (ज) तक में उल्लिखित प्रवर्गों से दूसरा संवर्ग बनेगा।

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	भर्ती का स्रोत
(क)	टंकक–सह–प्रतिलिपिक	रू0 3050–4590 या सरकार द्वारा पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा
(ख)	सहायक लेखाकार / निष्पादन लिपिक–सह–संरक्षण लिपिक, वाद लिपिक–सह–अनुरक्षण लिपिक	रू0 4000–6000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रोन्नति से या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा

(ग)	पेशकार	रू0 4500–7000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रोन्नति या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा
(घ)	वैयक्तिक सहायक	रू0 5500–9000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा
(ड़)	सदर मुंसरिम	रू0 5500–9000 या सरकार द्वारा समय–समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रोन्नति से या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा

4. अधिष्ठान की स्वीकृत संख्या :

जजशिप या कुटुम्ब न्यायालय के लिपिकवर्गीय अधिष्ठान की संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

5. राष्ट्रीयता :

किसी व्यक्ति को लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा, जबकि वह भारत का नागरिक हो और आयोग द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व उत्तराखण्ड के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

6. शैक्षिक अर्हता :

लिपिकीय पद

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वाद्यालय की स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी में टंकण का कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 40 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो।

(घ) कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

आशुलिपिक एवं कुटुम्ब न्यायालय के वैयक्तिक सहायक :

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वाद्यालय की स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी आशुलेखन में क्रमशः 80 शब्द एवं 100 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 60 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

(घ) कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

7. आयु :

लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जनवरी को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

परन्तु मुख्य न्यायाधीश लोक हित में अथवा उचित व्यवहार के आधार पर किसी अभ्यर्थी के पक्ष में आयु सीमा बढ़ा सकेंगे।

8. चरित्र :

लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान अधिकारी और दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से (जो नातेदार न हों), जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में किसी पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

9. शारीरिक स्वस्थता :

किसी भी ऐसे व्यक्ति को लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

किसी अभ्यर्थी को लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में नियुक्त किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैन्ड बुक, खंड–दो, भाग–3 के अध्याय–तीन में दिए गए फन्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

10. अनुसूचित जाति, आदि के लिए पदों का आरक्षण :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

11. महिलाओं की पात्रता :

महिलाएं भी प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए पात्र होगीं।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :

लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो।

13. लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया :

रिक्तियों का अवधारण :

(क) उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिला न्यायाधीश और कुटुम्ब न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश भर्ती के वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संभावित संख्या और नियम 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

(ख) रिक्तियां अधिसूचित और न्यायालय को सूचित की जाएगी।

(ग) जिला न्यायाधीशों और कुटुब न्यायालयों द्वारा इस प्रकार अधिसूचित रिक्तियां समेकित कर न्यायालय, आयोग को अधिसूचित करेगा।

(घ) प्रतियोगितात्मक परीक्षा :

प्रतियोगितात्मक परीक्षा ऐसे समय और ऐसी तिथियों में आयोजित की जाएंगी जो आयोग द्वारा अधिसूचित की जाए।

(ड़) आवेदन पत्र :

(1) प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों में प्रकाशित कर आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र धारक न हो।

(3) **फीस** : अभ्यर्थी आयोग को ऐसी फीस का संदाय करेंगे जो समय–समय पर सरकार या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। फीस की वापसी का कोई दावा स्वीकार्य नही होगा।

(4) यदि आवेदकों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित रिक्तियों से बहुत अधिक है तो आयोग अपने द्वारा विहित रीति से प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा ले सकेगा और प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त अंक, प्रवीणता का क्रम अवधारित करने के लिए गणना में नहीं लिए जाएंगे।

(5) **पाठ्यक्रम** : आयोग द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा परिशिष्ट–I में दिए गए पाठ्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी।

(6) **पक्ष समर्थन** : इस नियमावली के अधीन सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति हेतु अनर्ह कर देगा।

(7) लिखित परीक्षा के परिणाम तैयार कर लेने के पश्चात् आयोग, ऐसी सख्या में उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जिन्होंने आयोग की राय में उतने न्यूनतम अंक प्राप्त कर लिये हैं जो आयोग नियत करे।

(8) इस नियमावली या किसी अन्य आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी आयोग, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति या न्यायालय के अधिकारी को उपनियम (7) के अन्तर्गत बुलाए गए अभ्यार्थियों के साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा और अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में उसके द्वारा दी गई राय की उपेक्षा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी राय अस्वीकार करने के लिए प्रबल और ठोस कारण न हों और इस हेतु आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण उल्लिखित किए जायेंगे।

14. आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची :

(1) इसके उपरान्त आयोग, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दिये गये अकों के कुल योग के आधार पर उनकी श्रेष्ठता के क्रम में चयन सूची तैयार करेगा :

परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा;

परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी, जो समान आयु के हों, बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उस अभ्यर्थी का नाम, जिसने लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं, चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(2) चयन सूची को आयोग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा।

15. अधिष्ठान में नियुक्ति :

(1) आयोग द्वारा नियम 14 के अधीन इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची (श्रेष्ठता सूची) जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन मे अभिप्राप्त कुल अंकों का उल्लेख किया जाएगा, न्यायालय को अग्रसारित की जायेगी।

(2) न्यायालय अभ्यर्थियों के नाम जजशिप और कुटुंब न्यायालयों में रिक्तियों के अनुसार श्रेष्ठता के सही क्रम में जिला न्यायाधीशों और कुटुम्ब न्यायालयों को भेजेगा। अपनी इच्छा के जिले में तैनाती के लिए किसी अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं होगा।

(3) चयन सूची मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।

(4) जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उन अभ्यर्थियों की, जिनके नाम न्यायालय द्वारा भेजे जाते हैं, सरकारी अधिसूचना और आदेशो में उपबन्धित रोस्टर के अनुसार, नियुक्तियां करेंगे।

16. चयनित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रीकरण :

(1) जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के नाम, परिशिष्ट–II में विहित प्रारूप में एक जिल्द बन्द रजिस्टर में श्रेष्ठता के क्रम में प्रविष्ट किये जाएंगे और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियों के मूल प्रमाण–पत्रों के निरीक्षण के पश्चात् प्रत्येक प्रविष्टि पर यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किये जाएंगे।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रविष्ट किसी अभ्यर्थी का नाम एक वर्ष के भीतर अकुशलता या कदाचार के लिए, बिना कोई विभागीय जॉच किये हटाया जा सकेगा।

(3) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती की तारीख से एक वर्ष के भीतर नियुक्त नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा इस प्रकार संस्तुत की गयी सूची व्यपगत हो जायेगी। इस प्रकार संस्तुत किया गया अभ्यर्थी अधीनस्थ सिविल न्यायालयों या कुटुम्ब न्यायालयों के अधिष्ठान में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है।

परन्तु इस नियमावली के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या इस नियमावली से अन्यथा की गई नियुक्ति या इस नियमावली के अधीन तात्पर्यित नियुक्ति से व्यथित किसी व्यक्ति को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा।

17. परिवीक्षा :

(1) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा :

परन्तु जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, यथास्थिति, स्वविवेक पर परिवीक्षा की अवधि छः मास की अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे।

(2) परिवीक्षा की अवधि की गणना पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से की जायेगी।

स्पष्टीकरण– लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्ति भी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है, या वह अन्यथा सन्तुष्टि प्रदान करने में असफल रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी कोई सूचना दिये बिना उसे उसके मूल पद पर, यदि वह ऐसा पद धारण करता है, प्रत्यावर्तित कर सकेंगे या कोई अन्य उपयुक्त आदेश कर सकेंगे।

18. स्थायीकरण :

पूर्ववर्ती नियम के उपबन्ध के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी पद के विरूद्ध स्थायी किया जायेगा।

19. ज्येष्ठता :

मौलिक रूप से सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

20. प्रोन्नति :

(1) जजशिप या कुटुंब न्यायालय में उच्चतर पद, उस जजशिप या कुटुंब न्यायालय में लिपिको के लिए आरक्षित होगा और उच्चतर पदों पर प्रोन्नति उनमें से ही की जायेगी।

(2) अमीनों के मामलों के सिवाय प्रोन्नति दक्षता के अधीन रहते हुए, जयेष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित पदों से भिन्न पद, चयन पदों के रूप में माने जाएगे, जिन पर प्रोन्नति ज्येष्ठता को सम्यकतः ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठता के आधार पर, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा विहित उपयुक्तता परीक्षण पर आधारित होगी।

(4) परिपत्रों, साधारण (सिविल और दाण्डिक) नियमों, फाइनेन्शियल हैन्ड बुक का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की प्रोन्नति जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा यथाविहित उपयुक्तता परीक्षण कर लेने के पश्चात् निम्नतम श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में की जाएगी।

(5) सदर मुंसरिम और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पद, प्रोन्नति और चयन के पद हैं। इन पदों पर प्रोन्नति उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्हें जजशिप के सभी विभागों, विशेष रूप से नजारत और लेखा में कार्य करने का पर्याप्त ज्ञान हो। सदर मुंसरिम और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति करते समय जिला न्यायाधीश, अपने द्वारा विहित उपयुक्तता परीक्षण, उन व्यक्तियों में से करेगा जो इन पदों के पूर्ववर्ती निम्नतर श्रेणी में कार्य कर रहे हैं और तब श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर इन पदों पर प्रोन्नति करेगा।

ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए वैयक्तिक सहायकों में से ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी जिला न्यायाधीश द्वारा विचार किया जायेगा।

(6) मुख्य न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे तो किसी जजशिप के सदस्य की सदर मुंसरिम और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यदि ऐसी जजशिप में रिक्ति विद्यमान है, नियुक्ति कर सकेंगे।

टिप्पणीः— चयन पद पर प्रोन्नति के लिए किसी व्यक्ति को उसकी अदक्षता के कारण छोड़ते समय उसकी सेवा के पूर्व अभिलेखों पर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा और ज्येष्ठता की तभी उपेक्षा की जाएगी जब प्रोन्नत किया जाने वाला कनिष्ठ कर्मचारी अपने ज्येष्ठों की तुलना में उत्कृष्ट श्रेष्ठता का हो।

(7) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में अमीनों की प्रोन्नति, एक नियम के रूप में, जिला न्यायाधीश की स्थानीय अधिकारिता के भीतर सेवा की अवधि पर विचार किये बिना सामान्य अर्हताओं की श्रेष्ठता के आधार पर विचार करते हुए की जायेगी।

(8) अधीनस्थ न्यायालयों में अमीनों के पद पर प्रोन्नति या नियुक्ति साधारणतः उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहेगी जिनके सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश का समाधान हो जाता है कि उन्हें निम्नलिखित का पर्याप्त ज्ञान हैः—

(i) हिन्दी, अंग्रेजी

(ii) गणित

(iii) माप

(iv) भूमि सर्वेक्षण और नक्शे का आरम्भिक ज्ञान

(v) सिविल प्रक्रिया संहिता

(vi) अमीनों के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित साधारण नियम (सिविल)

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में जिला न्यायाधीश किसी कर्मचारी को ऐसी अर्हताओं से छूट दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि संबंधित कर्मचारी अन्यथा नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।

(9) अमीन के पद पर एक बार प्रोन्नत व्यक्ति, अन्य पदों पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए ऐसी प्रोन्नति के कारण अन्य ऐसे लिपिकों पर जो अमीन के रूप में उसकी प्रोन्नति से पहले उससे ज्येष्ठ थे, ज्येष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(10) समूह "घ" के अर्ह कर्मचारियों में से समूह "ग" में निम्नतम वेतनमान के पद पर नियत कोटे के भीतर प्रोन्नति के माध्यम से सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/नियमावली की शर्तो एवं प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती/नियुक्ति की जायेगी।

21. वेतनमान :

संवर्ग के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान, चाहे नियुक्ति मौलिक या

स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से हों, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकृत वेतनमान होगा।

22. परिवीक्षा के दौरान वेतन :

सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति का परिवीक्षा के दौरान वेतन उस पद का न्यूनतम वेतन होगा जिसमें उसे नियुक्त किया गया है और राज्य की सेवा में पहले से ही किसी व्यक्ति की दशा में यह वेतन ऐसा होगा जो नियम 21 में निर्दिष्ट सुसंगत नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय हो। अनुमोदित परिवीक्षाधीन सेवा द्वारा वेतन वृद्धियां अर्जित की जायेंगी परन्तु यदि किसी मामले में समाधानप्रद सेवा प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा की अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जायेगी।

23. स्थानान्तरण :

(1) जिला न्यायाधीश की शिकायत पर या लोक हित में मुख्य न्यायाधीश किसी सदर मुंसरिम या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या अधिष्ठान के किसी सदस्य का एक जजशिप से दूसरी जजशिप में उसी वेतनमान में विद्यमान रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण कर सकेंगे।

(2) जिला न्यायाधीश, अधिष्ठान के किसी सदस्य का उसी वेतनमान में उसी जिले के भीतर एक न्यायालय/कार्यालय/विभाग से दूसरे में, जैसा वह ठीक समझें, स्थानान्तरण कर सकेंगे।

24. मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली का लागू होना :

इस नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) का अनुकूलन एवं उपान्तरण नियमावली, 2002" लिपिकवर्गीय अधिष्ठान पर लागू होगी, तद्नुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती की जाएगी।

25. निरसन और व्यावृत्ति :

(1) अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1947 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,

(क) इस नियमावाली के लागू होने की तिथि से ठीक पूर्व, वेतन, पेन्शन, वरिष्ठता, अनुशासनिक कार्यवाही या अन्य संबंधित प्रकरण से सम्बन्धित कोई मामला लम्बित हो, तो उसे अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1947 के अनुसार निपटाया जायेगा।

(ख) अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1947 के अधीन जारी की गई उच्च न्यायालय या राज्य सरकार की सभी अधिसूचनायें और परिपत्र, यदि कोई है, क्रमशः इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे।

परिशिष्ट—I

(नियम 13 देखिए)

परीक्षा तीन भागों में ली जायेगी।

1—	**लिखित परीक्षा**		**अंक**
(i)	सामान्य आलेखन	(हिन्दी में)	40
(ii)	निबंध और सार लेखन	(हिन्दी में)	40
(iii)	साधारण आलेखन और सार लेखन	(अंग्रेजी में)	40
(iv)	सामान्य ज्ञान		40

2— कम्प्यूटर पर टंकण/आशुलेखन में परीक्षण 60

(आशुलिपिकों के लिए)

(i) अंग्रेजी में 60 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर पर अंग्रेजी और हिन्दी में टंकण।

(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी में आशुलेखन।

(अन्य के लिए)

कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी और हिन्दी में टंकण।

3—	**साक्षात्कार**	
(i)	व्यक्तित्व	15
(ii)	पद विशेष के लिए ज्ञान और उपयुक्तता	15
	योगः—	**250**

परिशिष्ट–II

(नियम 16 देखिए)

भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के रजिस्टर का प्रारूप :–

नाम	पिता का नाम	जति, धर्म, वर्ग यदि आरक्षित वर्ग से है।	पता अस्थायी एवं स्थायी	जन्मतिथि एवं आयु	शैक्षिक योग्यता	वर्ष एवं स्थान (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के उपरान्त)	विशेष योग्यता जैसे आशुलेखन, लेखा आदि
1	2	3	4	5	6	7	8

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट / गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726